

दूरभाष:26175176

फैक्स: 26162093

ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या-15/2/2022-उ.नि.(परीक्षा)/46

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 27.01.22

सेवा में

सभी संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

विषय:-मई,2022 में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग/पारंगत तथा प्रबोध परीक्षाओं की संशोधित समय सारणी ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत की परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष मई एवं नवम्बर माह में आयोजित की जाती हैं । इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं ।

मई, 2022 में आयोजित की जाने वाली हिंदी भाषा परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए "प्रणाली" तैयार की गई है । परीक्षा व्यवस्था को जनवरी,2018 से "प्रणाली" से जोड़ा जा चुका है । अनुरोध है कि सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 10 जनवरी, 2018 पत्र सं. 12/6/2016 हि.शि.यो.(मु.)/127 के अनुसार मई,2022 की परीक्षाओं से संबंधी कार्य नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित कराएं-

1. विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण करते हुए विवरण संकाय सदस्यों अर्थात् हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक(भाषा) द्वारा Online "प्रणाली" में भरा जाए, तत्पश्चात संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उपनिदेशकों से सत्यापित कराकर परीक्षा शाखा को भेजा जाए । परीक्षा शाखा द्वारा मैनुअल परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे । मई, 2022 में उन्हीं कार्मिकों की परीक्षा होगी, जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विधिवत् "प्रणाली" में भरा होगा ।

2. सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक स्वयं यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संकाय सदस्य द्वारा प्रशिक्षार्थियों का संपूर्ण विवरण "प्रणाली" में सही भरा गया है ।

3. “प्रणाली” के अन्तर्गत संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि जनवरी-मई सत्र में 28 फरवरी, 2022 तथा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/ उप निदेशकों द्वारा उक्त पंजीकरण को प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 11 मार्च, 2022 निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक विवरण पंजीकृत करने के उपरांत तत्काल संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (परीक्षा) को ई मेल द्वारा सूचित करें। अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण नहीं भरा जा सकेगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित संकाय सदस्य तथा उनकी मॉनेटरिंग करने वाले अधिकारियों की होगी।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. निम्नवत है:-

- (1) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर) दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू हिंदी शिक्षण योजना, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पूर्वी खंड-7, तल-6, लद्दाख व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
ddhts-nc-dol@nic.in
- (2) संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (दक्षिण) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना तथा पांडिचेरी केंद्र हिंदी शिक्षण योजना, शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन,
बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090
ddhts-south-dol@nic.in
- (3) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्व) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार हिंदी शिक्षण योजना, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
18वां तल, निजाम पैलेस परिसर,
234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,
कोलकाता-700020
ddhts-east-dol@nic.in
- (4) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पश्चिम) महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादरनगर हिंदी शिक्षण योजना, हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
केंद्रीय सदन, सी. विंग,
छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुंबई-400614
ddhts-west-dol@nic.in
- (5) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्वोत्तर) असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, हिंदी शिक्षण योजना, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,
मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)
ddhts-ne-dol@nic.in
- (6) उप निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक केवल मई, 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वर्ष केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2020 तथा 2021 में (दोनों सत्रों की) पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011
ई.मेल-adpitracharchti-dol@nic.in

(7). उपनिदेशक

हिंदी शिक्षण योजना

ए विंग, 5वां तल, 17 वां मेन,

केंद्रीय सदन, कोरमंगला,

बैंगलूरु - 5600034

chti1185@nic.in

(8.) उपनिदेशक

हिंदी शिक्षण योजना

कमरा नं. 403, 6-8/32, चौथा तल,

सी जी ओ टावर्स, कवाडीगुडा,

सिकंदराबाद - 500080 (तेलंगाना)

chti1147@nic.in

4. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ की ऑन-लाइन परीक्षाएं भी आयोजित की जाती रही हैं, किंतु कोविड से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण सक्षम अधिकारी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगले आदेशों तक ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा ।
5. नियमानुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र एवं आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। किसी एक प्रश्न-पत्र में 35 प्रतिशत अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम को पूरक घोषित किया जाएगा ।
6. हिंदी भाषा के 5 दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Validation Course) के प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से किया जाए तथा इसकी सूचना ईमेल द्वारा संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (परीक्षा) को दी जाए ।
7. प्रशिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी कार्रवाई संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों के माध्यम से ही की जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा तत्काल परीक्षा शाखा को ई मेल द्वारा दी जाए ताकि केंद्र परिवर्तन हेतु नया प्रवेश पत्र जारी किया जा सके । उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा । उसके पश्चात केंद्र परिवर्तन हेतु किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
8. संकाय सदस्यों द्वारा "प्रणाली" के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् ही परीक्षा स्कंध द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे ।
9. संकाय सदस्य प्रवेश-पत्र परीक्षा से दो सप्ताह पूर्व "प्रणाली" से स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे ।
10. केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है । भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं प्रबोध हेतु ₹0-100/- परीक्षा शुल्क देय है । पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है ।

11. परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन जमा करवाया जाए तथा ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती / रसीद उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स:-

1. सबसे पहले State Bank of India की वेबसाइट www.onlinesbi.com में State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर जाएँ ।

या

State Bank of India की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

2. State Bank Collect पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं GO को क्लिक करें ।

3. Govt. Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA को SUBMIT करें ।

4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें । Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।

5. इस फार्म को भरने के पश्चात् Submit करें । Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें ।

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।)

अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में ही डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान किया जाए तथा परीक्षा शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट उपनिदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होना चाहिए। ड्राफ्ट का विवरण प्रणाली में अवश्य भरा जाए। प्रणाली में परीक्षा शुल्क संबंधी विवरण भरे जाने पर ही पंजीकरण परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा उनके प्रवेश-पत्र नहीं निकाले जा सकेंगे।

मई, 2022 परीक्षाओं की समय-सारणी

परीक्षा	प्रश्न-पत्र	दिन	दिनांक	समय
प्रवीण	प्रथम	मंगलवार	17.05.2022	10.00 से 13.00 बजे तक
प्रवीण	द्वितीय	मंगलवार	17.05.2022	14.00 से 17.00 बजे तक
प्रवीण	मौखिक	बुधवार	18.05.2022	10.00 से 17.00 बजे तक
प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग	प्रथम	बुधवार	18.05.2022	10.00 से 13.00 बजे तक
प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग	द्वितीय	बुधवार	18.05.2022	14.00 से 17.00 बजे तक
प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग	मौखिक	गुरुवार	19.05.2022	10.00 से 17.00 बजे तक
पारंगत	प्रथम	गुरुवार	19.05.2022	10.00 से 13.00 बजे तक
पारंगत	द्वितीय	गुरुवार	19.05.2022	14.00 से 17.00 बजे तक
प्रबोध	प्रथम	शुक्रवार	20.05.2022	10.00 से 13.00 बजे तक
प्रबोध	द्वितीय	शुक्रवार	20.05.2022	14.00 से 17.00 बजे तक
प्रबोध	मौखिक	सोमवार	23.05.2022	10.00 से 17.00 बजे तक

12 "प्रणाली" के अंतर्गत केंद्र अधीक्षक संबंधी संपूर्ण जानकारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/संकाय सदस्य द्वारा भरी जाएगी। संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/संकाय सदस्य यह सुनिश्चित करें कि केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हो, उसी शहर में कार्यरत हों तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो। उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो।

13 "प्रणाली" में केंद्र अधीक्षक संबंधित विवरण 01 अप्रैल, 2022 तक क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/संकाय सदस्य द्वारा संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(परीक्षा) को अग्रेषित किया जाए ताकि परीक्षा संबंधी आगे की कार्रवाई करते हुए केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र एवं प्रश्न-पत्र, समय सारणी आदि यथासमय भिजवाई जा सके।

14. कृपया सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा भवन का किराया (जहां परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता हो) पारिश्रमिक राशि तथा फुटकर खर्च आदि के लिए अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित केंद्र अधीक्षक का बैंक खाता संख्या, IFSC Code, बैंक का नाम आदि एवं अग्रिम मांगपत्र भी दिनांक 08.04.2022 तक परीक्षा स्कंध को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

15. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन द्वारा केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते में ही किया जाएगा। बिल के साथ केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते का विवरण, यथा बैंक का नाम/शाखा का नाम/आई.एफ.एस.सी.कोड तथा मोबाइल नं. अनिवार्य रूप से भेजा जाए ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके। सुगमता को देखते हुए कैंसल चैक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए।

16. कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मई, 2022 सत्र की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैकिंग तथा पारंगत परीक्षाओं का आयोजन नवम्बर, 2021 की परीक्षाओं के समान विकेंद्रीकृत रूप से किया जाएगा।

पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु विशेष दिशा निर्देश:-

- (क) जो परीक्षार्थी कोविड-19 के कारण मई, 2020 सत्र की नवंबर, 2020 माह में आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए वे परीक्षार्थी मई, 2022 में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। कोरोना 19 की स्थिति में परीक्षा संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी सरकारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाए।
- (ख) नवंबर, 2021 में सम्मिलित पत्राचार परीक्षार्थी जो परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित किए गए हैं, ऐसे परीक्षार्थी मई, 2022 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। उनका विस्तृत विवरण "प्रणाली" में पुनः अपलोड नहीं किया जाएगा, उनकी पूर्व में जारी पंजीकृत संख्या ही प्रयोग में लाई जाएगी। नवम्बर, 2021 के पूरक परीक्षार्थी अगर मई, 2022 परीक्षा में भाग नहीं लेते तो उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में तीनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी, जिसके लिए पुनः पंजीकरण कराना होगा तथा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कार्यालयों द्वारा उनका विवरण अग्रेषण संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(परीक्षा) को अग्रेषित करना होगा।
- (ग) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पक्ष में भेजना होगा।
- (घ) पत्राचार के वे प्रशिक्षार्थी जो किसी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे अथवा अनुत्तीर्ण होंगे ऐसे प्रशिक्षार्थी आगामी सत्रों की परीक्षाओं में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते। ऐसे प्रशिक्षार्थियों को यह जानकारी निश्चित रूप से प्रदान कर दी जाए कि प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उन्हें मौखिक परीक्षा भी देनी होगी।

टिप्पणी -

1. कृपया संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय की ई मेल भेजने का कष्ट करें ताकि भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार किया जा सके।
2. सभी क्षेत्रीय कार्यालय कृपया यह सुनिश्चित करें कि संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षार्थियों का विवरण विभाग द्वारा जारी प्रपत्र में सही प्रकार से भरा गया है।
3. सभी संकाय सदस्य प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण करते समय निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण संख्या कृपया नोट कर लें, जिससे यदि किसी कारणवश प्रणाली में तकनीकी बाधा आती है तो परीक्षा निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जा सके।

भवदीया



(कमलेश बजाज)

उप निदेशक (परीक्षा)

chti1118

पृष्ठांकन संख्या - 15/2/2022-उ.नि.(परीक्षा)/ 46
को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

दिनांक 27.01.22 की प्रतिलिपि निम्नलिखित

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
3. निदेशक, कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11, बी विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली - 110001 को इस अनुरोध के साथ कि इसे सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न नराकास अध्यक्षों को परिचालित करवाने की कृपा करें ।
4. नोडल अधिकारी (वेबसाइट), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस आशय के साथ कि इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/राजभाषा विभाग (chti.rajbhasha.gov.in) वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।



(कमलेश बजाज)

उप निदेशक (परीक्षा)

chti1118